न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21429 / 2017
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 49 / 2017

प्रारूप–ए

उपस्थिति– शंभु दास,
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम,
उदाकिशुनगंज।

निर्णय की तिथि– 10.08.2026

ट्रायल नंबर– **67** / 2026
सी.आई.एस. नं.–21429 / 2017
जी.आर.नंबर–429 / 2017
प्राथमिकी संख्या– उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 49 / 2017

सूचक	कपिलदेव यादव, पु0स0अ0नि0, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मृत्युंजय कुमार, अभियोजन पदाधिकारी
अभियुक्त	1. जगरनाथ यादव, उम्र–45 वर्ष, पे0–स्व0 राजेन्द्र यादव 2. नीरज यादव, उम्र–40 वर्ष, पे0–उदित यादव 3. मनोज यादव, उम्र–58 वर्ष, पे0–उदित यादव 4. सुनिल यादव, उम्र–70 वर्ष, पे0–स्व0 तनुकलाल यादव 5. उदित यादव, उम्र–75 वर्ष, पे0–स्व0 तनुकलाल यादव 6. नन्दकिशोर यादव, उम्र– 59 वर्ष, पे0– स्व0 हरिबल्लभ यादव सभी सा0–आनन्दपुरा, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अशोक कुमार, विद्वान अधिवक्ता

प्रारूप–बी

घटना की तिथि	13.04.2017
प्राथमिकी की तिथि	13.04.2017
आरोप पत्र / अंतिम प्रतिवेदन की तिथि	12.07.2017
आरोप गठन की तिथि	06.01.2025
साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	18.03.2025
निर्णय हेतु रखने की तिथि	10.08.2026
निर्णय की तिथि	10.08.2026
सजा सुनाने की तिथि, यदि हो	–

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21429 / 2017
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 49 / 2017

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	अपराध का आरोप	रिहा या सजा	आरोपित सजा	धारा 428 द.प्र.सं. अन्तर्गत सुनवाई के दरम्यान कारा की अवधि
1	जगरनाथ यादव	–	24.07.2023	147 / 149 / 431 / 379 भा0द0वि0	रिहा	–	–
2	नीरज यादव	–	24.07.2023		रिहा	–	–
3	मनोज यादव	–	09.05.2017		रिहा	–	–
4	सुनिल यादव	–	09.05.2017		रिहा	–	–
5	उदित यादव	–	09.05.2017		रिहा	–	–
6	नन्दकिशोर यादव	–	09.05.2017		रिहा	–	–

प्रारूप–सी

अभियोजन / बचाव / न्यायालय साक्ष्य की सूची

ए. अभियोजन

क.सं.	नाम	गवाह की प्रकृति
1	एकलव्य पासवान	चौकिदार

बी. बचाव

क.सं.	नाम	गवाह की प्रकृति
	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय के प्रदर्श की सूची

ए. अभियोजन

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

बी. बचाव

क.सं.	प्रदर्श संख्या–	विवरण
	–	–

सी. न्यायालय साक्ष्य

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

डी. वस्तु सामग्री

क.सं.	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21429/2017
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 49/2017

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण भा0द0वि0 की धारा– 147/149/431/379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में आरोपित है। दिनांक–06 जनवरी 2025 को अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण दोषी होने का अभिवाक नहीं किये तथा वाद विचारण का दावा किए।

02. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक–12.04.2017 को नन्दकिशोर यादव के पुत्र का ट्रेक्टर से दुर्घटना हो जाने का करण ईलाज के कम में मृत्यु हो गया। दुर्घटना हो जाने के कारण अभियुक्तगण द्वारा ट्रेक्टर मालिक से भाड़ी रकम जुर्माना में मांग किया गया। ट्रेक्टर मालिक के द्वारा भारी जुर्माना की राशि होने के कारण जुर्माना देने से माना किया गया तो अभियुक्तगण ने ट्रेक्टर को जबरदस्ती घटना स्थल से लेकर चला गया और उदाकिशुनगंज–मधेपुरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया जिससे आवागमन बाधित रहा। ट्रेक्टर मालिक के द्वारा भारी जुर्माना की राशि देने से पिछे हट जाने पर मृतक के पिता के द्वारा दुर्घटना के संबंध में एक लिखित आवेदन दिया गया तब पुलिस के द्वारा मृतक के पिता के दरवाजे से दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर को जबरदस्ती थाना पर लाया गया। लोक मार्ग बाधित करने वाले तथा दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर को जबरदस्ती घटना स्थल से खींच कर लाने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।

03. सूचक के आवेदन दिनांक–13 अप्रैल 2017 के आधार पर उदाकिशुनगंज थाना कांण्ड संख्या–49/2017 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के कम में घटना को सत्य पाते हुए सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147/149/431/379 के अंर्तगत आरोप पत्र संख्या–88/2017, दिनांक–12 जुलाई 2017 समर्पित किया। तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक– 11 अगस्त 2017 को सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 147/149/431/379 के अंर्तगत संज्ञान लिया गया।

04. दिनांक–29 जुलाई 2026 को उपरोक्त नामित अभियुक्तगण का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अंर्तगत अभिलिखित किया गया जिससे अभियुक्तगण स्वयं को निर्दोष बताये। निर्दोशिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षापक्ष का बचाव है।

05. इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न अब यह है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं अथवा नही?

मंतव्य

06. इस वाद में अभियोजन द्वारा आरोप पत्रित कुल 10 साक्षियों में से एक मात्र साक्षी, साक्षी संख्या–01 एकलव्य पासवान (चौकिदार) का साक्ष्य कराया गया। दिनांक–20 जुलाई 2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

07. **अभियोजन साक्षी संख्या–01** एकलव्य पासवान ने अपने मुख्य परिक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि घटना दिनांक–12.04.2017 की है। उस दिन सिद्धांत कुमार पिता नंदकिशोर यादव का रहुआ में टेक्टर से दुर्घटना हुआ। वह टेक्टर किसका था, साक्षी को मालूम नहीं है। दिनांक– 13.04.2017 को अभियुक्तगण एंव अन्य ग्रामीण के द्वारा उदा नहर के पास मुख्य सड़क जाम किया गया। इसकी सूचना साक्षी ने थाना प्रभारी उदाकिशुनगंज को दिया। ट्रेक्टर को रहुआ से खींचकर लाया था और सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर बड़ा बाबू, जमादार, छोटे बाबू, प्रखंड विकास पदाधिकारी वगैरह आये और सब मिलकर कहसून मृतक को पोस्ट मार्टम के लिये भेज दिया और सड़क जाम हटा दिया। वेलोग टेक्टर वाले से जुर्माना की राशि का मांग कर रहे थे। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचान करता है तथा अन्य को भी पहचान करने का दावा करता है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा कि नंदकिशोर यादव का लड़का 12 तारीख के रात में मरा था। लाश को सुबह में लाया गया था। सबेरे में पंचायती हुई। साक्षी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के बारे में वहां का समाज बताया। यह मुकदमा ट्रेक्टर मालिक के कहने पर दायर किया गया। नंदकिशोर यादव भी ट्रेक्टर मालिक पर मुकदमा किया है, इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। साक्षी ने ट्रेक्टर खींचकर लाते हुये नहीं देखा।

08. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथित किया कि अभियोजन द्वारा वाद के समर्थन में एक मात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है, जिनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया कि साक्षी को घटना के बारे में लोगों से पता चला। साक्षी ने ट्रेक्टर को खींच कर लाते हुए नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा वाद के समर्थन में न तो सूचक और न हीं अनुसंधानकर्ता का ही साक्ष्य कराया गया है।

09. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा एक मात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया जिन्हें घटना कारित होते हुए अपने आंखों से नहीं देखा। साक्षी को घटना के बारे लोगों के द्वारा पता चला तथा ट्रेक्टर को भी किसने खींच कर लाया साक्षी ने नहीं देखा। एक मात्र साक्षी के अलावे अन्य किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा इस वाद में न तो सूचक और न हीं अनुसंधानकर्ता का ही साक्ष्य कराया गया है। सूचक का अपने वाद

के समर्थन में उपस्थित न होना इस मामले को संदेहास्पद बनाती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित भा0द0वि0 की धारा–147/149/431/379 के अंतर्गत आरोपों को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण रिहाई के हकदार है।

आदेश

10. नामित अभियुक्त 1. जगरनाथ यादव, 2. नीरज यादव, 3. मनोज यादव, 4. सुनिल यादव, 5. उदित यादव एवं 6. नन्दकिशोर यादव को अरोपित धारा–147/149/431/379 भा0द0वि0 से निर्दोष पाकर **दोषमुक्त** किया जाता है तथा उनके जमानातदारों को भी उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित
Shambhu Das
10.08.26
(श्री शंभु दास)
ACJM.-I,
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
दिनांक–10 अगस्त 2026

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स्वटंकित एवं शुद्धिकृत

(श्री शंभु दास)
Shambhu Das
10.08.26
ACJM.-I,
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
दिनांक–10 अगस्त 2026